

Rev  
Adv तरुण  
के

211119 वकील उभयपक्ष उप०। वकील प्रार्थी ने प्रा० पत्र प्रस्तुत कर बताया है कि शवाह प्रार्थी की मारट्टे चलने, फिरने, उठने, बैठने में असमर्थ है इसलिए प्रार्थी को साक्ष्य हेतु समय दिया जावे। वकील प्रार्थी के अनुरोध पर साक्ष्य प्रार्थी हेतु समय दिया जाता है। वास्ते साक्ष्य प्रार्थी पत्रावली दि० 11-11-19 को पेश हो।

रियाज  
अली

1.

111119 वकील उभयपक्ष उप०। शवाह उप० नहीं है। वास्ते साक्ष्य प्रार्थी पत्रावली दि० 25-11-19 को पेश हो।

2.

25-11-19 वकील उभयपक्ष उप०। शवाह उप० नहीं है। वास्ते साक्ष्य प्रार्थी पत्रावली दि० 25-11-19 को पेश हो।

21-12-19 वकील उभयपक्ष उप०। वकील प्रार्थी ने ब्रीच प्रा० पत्र को NOT PRESS किया है। अतः ब्रीच प्रा० पत्र NOT PRESS में रिकार्ड किया जाता है। पत्रावली कैसल नुम्बर होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

प्रा० पत्र  
कर पत्रावली  
में नोट  
Tardis  
2-12-19

गंगापुर सिटी (स० न० ०)

